# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
## सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in


**पत्रांक–** 1696/रेनुकूट /15–7 दिनांक, रेनुकूट, नवम्बर, 29, ,2021

**सेवा में,**

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

**विषयः–** जनपद–मीरजापुर, सोनभद्र व वाराणसी में 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 20 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित 319.28 हे0 वन भूमि (रेनुकूट वन प्रभाग से संबंधित 98.28 हे0) के लीज का आगामी 30 वर्षो के नवीनीकरण हेतु ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/32650/2018 के संबंध में ।

**संदर्भः–** 1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 1073/11–सी, FP/UP/TRANS/32650/2018 लखनऊ दिनांक– 28.09.2021

2–आपका पत्रांक– 1586/मी0/33 दिनांक– 29.09.2021

**महोदय,**

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 28.09.2021 द्वारा विषयगत नवीनीकरण प्रस्ताव के संबंध में प्रभागवार आपत्तियॉं इंगित करते हुए उसके निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । उक्त इंगित की गयी कमियो में रेनुकट वन प्रभाग से संबंधित कमियो का निराकरण कराते हुए आख्या निम्नानुसार संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

| क्र0 सं0 | मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 1073/11–सी, FP/UP/TRANS/32650/2018 लखनऊ दिनांक– 28.09.2021 में अंकित बिन्दु का विवरण । | प्रभाग की अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के फलस्वरूप दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट , हार्डकापी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक 6 तथा ऑनलाईन भाग–2 के क्रमांक 12 में उल्लंधन न किये जाने का उल्लेख है, जो कि परस्पर विरोधाभाष है । अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट , हार्डकापी भाग–2 तथा ऑनलाइन भाग–2 में उल्लंधन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए संबंधित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलिट कर अपलोड करे । | इस बिन्दु में अंकित आपत्तियो के निराकरण हेतु मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक– 06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था । आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि, " चूकि भारत सरकार के पत्र संख्या– 8–197/91–एफ0सी0 दिनांक– 01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नही थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंधन होना प्रतीत नही हो है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नही होती है " । बैठक में लिये गये निर्णय से संबंधित पत्र संख्या– 1824/मी0क्षे0/33 दिनांक– 11.10.2021 की छाया प्रति संलग्न है । अतः ऑनलाइन भाग–2 एवं स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में संशोधन की आवश्यकता नही है । |
| 2 | ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail के क्रमांक–5 एवं 10 में अपलोड किये गये प्रमाण–पत्र ओपन नही हो | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information |

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | रहा है । | Detail में सही ढंग से अभिलेखो को अपलोड किया गयी है जो ओपन हो रहा है । |
| 3 | उल्लंधन के फलस्वरूप जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता पुनः प्रस्ताव मे संलग्न नही की गयी है । इसके स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने का अनुरोध किया गया है, जो कि औचित्यपूर्ण नही है । अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर उल्लंधन के फलस्वस्प जमा की जाने वाली दण्डात्मक एन.0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण–पत्र जो, प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाईन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करे । | इस बिन्दु में अंकित आपत्तियो के निराकरण हेतु मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर की अध्यक्षता में दिनांक– 06.10.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था । आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि, " चूकि भारत सरकार के पत्र संख्या– 8–197/91–एफ0सी0 दिनांक– 01.11.1993 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नही थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंधन होना प्रतीत नही हो है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नही होती है " । बैठक में लिये गये निर्णय से संबंधित पत्र संख्या– 1824/मी0क्षे0/33 दिनांक– 11.10.2021 की छाया प्रति संलग्न है । |

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र

संख्या– 1696 अ/समदिनांकित।

1–प्रतिलिपिः प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2–प्रतिलिपिः अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलवल हाइडिल कालोनी–गाजीपुर, उ0प्र0 को उनके पत्र संख्या– 2013 दिनांक– 25.11.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त अभिलेखो को अपने सहायक अभियन्ता या अवर अभियन्ता के माध्यम से प्राप्त कराते हुए प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग के कार्यालय में समेकित प्रस्ताव में संलग्न कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र

Scanned with CamScanner

400के0वी0अनपरा वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन में में प्रभावित होने वाले कुल 319.28हे0 (रेनुकूट वन प्रभाग 98.28हे0, ओबरा वन प्रभाग 113.048हे0, सोनभद्र वन प्रभाग 15.79हे0, मीरजापुर वन प्रभाग 37.51हे0 तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग 54.652हे0) वन भूमि के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक-06.10.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्तः-

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा, प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र, प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट व प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर उपस्थित रहे। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर के पत्र संख्या-165/वि0प्रे0खं0-गा0/ दिनांक-01.02.2021 में उल्लिखित बिन्दु (जिसमें लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाये जाने का अनुरोध किया गया है।) पर प्रभागीय वनाधिकारियों से विचार-विमर्श के दौरान प्रकाश में आये तथ्य निम्नानुसार हैः-

1. भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91-एफ0सी0 दिनांक-01.11.1993 (जिससे पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य की अनुमति दी गयी थी) में कोई समय सीमा वर्णित नहीं है।
2. भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91-एफ0सी0 दिनांक-01.11.1993 (जिससे पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य की अनुमति दी गयी थी) के क्रम में उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-जी0आई0 444/14-2-93-707/89 दिनांक-23.02.1994 द्वारा 400 के0वी0 अनपरा-वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 319.28हे0 क्षेत्र को 20 वर्ष हेतु लीज पर दिया गया था। जिसकी लीज अवधि दिनांक-22.02.2014 को समाप्त हो चुकी है।
3. लीज समाप्त होने के उपरान्त लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित किया गया है। राजस्व क्षति को दृष्टिगत सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा लीज समाप्ति की तिथि दिनांक-22.02.2014 को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित गये सर्किल दर के अनुसार लीज रेंट का निर्धारण कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी से लीज रेंट का भुगतान करनें का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लीज रेंट का भुगतान लगातार किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित मत स्थिर किया गयाः-

चूंकि भारत सरकार के पत्र संख्या-8-197/91-एफ0सी0 दिनांक-01.11.1993 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बैठक साधन्यवाद समाप्त हुयी।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांकःसा0- 1895 /मी0क्षे0/33 दिनांक, मीरजापुर, दिनांक, अक्टूबर 11, 2021

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र, रेनुकूट, मीरजापुर एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

Scanned with CamScanner

UPPTCL

# उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
# U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division,Ghazipur.
220 KV S/S Talwal Hydle
Colony Ghazipur
Pin 233002

Mobile No. 9415311040
E-mail - eetd2var@upptcl.org

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेशण खण्ड, गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलवल
हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233002

पत्रांक. 2013 वि0प्रे0खं–(गा0)/ दिनांक. 25/11/2021

**विषयः–400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में लगायी गयी आपत्तियों/कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वनप्रभाग
रेनुकूट सोनभद्र

सन्दर्भ–1.मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 1073/11–सी0FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 28.09.2021
2. आपके कार्यालय पत्रांक 1100 रेनुकूट/15–7 दिनांक–29.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 03 जो कि दण्डात्मक एन0पी0वी0 की वचनबद्धता से सम्बन्धित है के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1824 वि0प्रे0ख0 (गा0)/दिनांक–22.10.2021 जो कि मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर को सम्बोधित है तथा आपको प्रतिलिपि है द्वारा मुख्य वन संरक्षक महोदय मिर्जापुर से प्रस्ताव मे दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाने हेतु आग्रह किया गया था, जिसके कम में मुख्य वन संरक्षक महोदय मिर्जापुर तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक–06.10.2021 को बैठक मे निर्णय लिया गया कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया ( बैठक कार्यवृत्त संलग्न) जिस कारण दण्डात्मक एन0पी0वी0 की देयता नहीं बनती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों एवं कमियों को दूर कर प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथापरोक्त

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. वि0प्रे0खं0–(गा)/ दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–

1. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर।
2. मुख्य अभियन्ता, पा0उ0पू0) उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, गाजीपुर ।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner

UPPTCL

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Office of the Executive Engineer
Electricity Transmission Division Ghazipur
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233001

Mobile No. 9415311047
E-mail - eeetd2var@upptcl.org

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर
220 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र तलवल
हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233001

पत्रांक. विo्प्रेoखं (गा)/ दिनांक

विषयः– 400 के०वी० अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव (FP/UP/TRANS/32650/2018) में लगाये गये दण्डात्मक एन०पी०वी० के सम्बन्ध में।

मुख्य वन संरक्षक
मिर्जापुर क्षेत्र,
मिर्जापुर

संदर्भः– 1.मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 1073/11–सी० FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक 28.09.2021

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 400 के०वी० अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाईन के लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा दण्डात्मक एन०पी०वी० से सम्बन्धित कुछ कमिया दर्शायीं गयी है। जिसके कम में पहले भी इस कार्यालय पंत्राक 991 वि०प्रे०खं–II (वा)/ दिनांक 15.07.2020 व पंत्राक 1167 वि०प्रे०खं–II (वा)/ दिनांक 27.08.2020 तथा पंत्राक 165 वि०प्रे०खं–II (वा)/ दिनांक 01.02.2021 द्वारा महोदय तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से दण्डात्मक एन०पी०वी० न लेन हेतु आग्रह किया गया था, क्योकि लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में सम्बन्धित वन प्रभागों द्वारा दण्डात्मक एन०पी०वी० लगायी गयी है, जिसकी गणना यह दर्शाते हुए कि लीज नवीनीकरण प्रस्ताव लीज समाप्ति की तिथि 22.02.2014 से 5 वर्ष के उपरान्त लीज नवीनीकरण प्रकिया पूर्ण नही की गयी, जिस कारण भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक 29.01.2018 के विन्दु बी (1) के अनुसार 5 गुना एन०पी०वी० तथा 12 प्रतिशत साधारण ब्याज लगाते हुये की गयी है। जबकि लीज नवीनीकरण प्रस्ताव लीज समाप्ति के तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 318,319,320 वि०प्रे०खं०–।। (वा०) दिनांक 14.03.2014 द्वारा सम्बन्धित वन प्रभाग मे जमा कर दिया गया था (प्रति संलग्न) किन्तु किसी कारणवश लीज नवीनीकरण नही हो सका। पुनः लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को इस कार्यालय के पत्रांक 1151,1152,1153 वि०प्रे०खं०–।। (वा०) दिनांक 24.11.2016 द्वारा सम्बन्धित वन प्रभाग में जमा कराया गया किन्तु आन लाइन डाटा इण्ट्री न होने के कारण प्रस्ताव पूर्ण नही हो सका। दिनांक 22.03.2018 को आन लाइन डाटा इण्ट्री के पश्चात इस कार्यालय के पत्राक 3307,3308,3309,3310,3311 वि०प्रे०खं–।। (वा०) दिनांक 27.08.2018 द्वारा पुनः लीज नवीनीकरण प्रस्ताव सम्बन्धित वन प्रभाग में जमा करा दिया गया (पत्र संलग्न) तथा प्रस्तावक विभाग द्वारा सम्बन्धित वन प्रभाग से मिलकर प्रस्ताव को शीघ्र पूर्ण करने की कोशिश की गयी । अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा न तो वन सम्पदा को कभी भी कोई हानि पहुचाया गया और न ही भारत सरकार /उ०प्र० सरकार व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के विरुद्ध कोई कार्य किया गया और न ही संदर्भित पत्र मे उल्लेखित भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 29.01.2018 के किसी बिन्दु का प्रस्तावक विभाग द्वारा उल्लंघन किया गया है और समय–समय पर वन प्रभाग के मॉग पत्र के अनुसार लीज रेन्ट जमा किया जाता रहा है। जिस कारण उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव मे दण्डात्मक एन०पी०वी० की धनराशि की देयता नही बनती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में दण्डात्मक एन०पी०वी० न लगायी जाये तथा प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों एवं कमियों को दूर कर प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे की लीज नवीनीकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक–यथापरोक्त

(एस०के०सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. 1824 वि०प्रे०खं०–(गा)/ दिनांक. 22/10/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–

1. मुख्य अभियन्ता, पा०उ०पू०) उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, गोरखपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेशण मण्डल उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, गाजीपुर
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूटए ओबरा, सोनभद्र, मीरजापुर एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।

(एस०के०सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner